



प्रकरण क्र० 4 4031-71/13
पेशी ता० 18-6-2014

श्री

समदा श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर कॅम्प, इन्दौर

Reso 2032-PBR/14

~~आर्थिक विभाग~~
5 असाधारण उदाहरण
विरुद्ध

अपीलाधी

सुरेश सेठ आदि
17 अशुद्ध काम शीट इंदौर

--- प्रत्यधी

आदेश 9 नियम 7 सी० पो० सी० के अन्तर्गत आवेदन पत्र

विवेकानंद
अभिमान रत्न
इंदौर
18/6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Rest. 2032-PBR / 2014

स्वीकृत तिथि

प्रकरण क्रमांक

आवेदन क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

16-7-2014

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक की ओर से पुनर्स्थापन आवेदन पत्र में इस न्यायालय में निपट पेशी दिनांक 18-6-2014 को उपस्थित न होने का कारण माननीय उच्च न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होना दर्शाया गया है। मूल निगरानी प्रकरण में संलग्न अभिभाषक पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उसमें श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक के अतिरिक्त 3 अन्य अभिभाषक भी आवेदक की ओर से नियुक्त हैं। अतः प्रथमतः यदि श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में व्यस्त थे तब अन्य अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित हो सकते थे। उसमें अतिरिक्त आवेदक स्वयं भी इस न्यायालय में उपस्थित हो सकता था। द्वितीय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में उपस्थित नहीं होना अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में मूल निगरानी प्रकरण में अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं पाये जाने से यह पुनर्स्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)

अध्याक्ष